

लोक शिक्षण संचालनालय
मध्यप्रदेश

कमांक/स्था.3/सी-2/जि.अं.स्था./52/07/4491

भोपाल, दिनांक 27.11.2007


आदेश

एकल नस्ती क्र.यू.ओ. 2165/07/20-1 दिनांक 27.11.2007 जिला संवर्ग के जिला अंतर्गत निम्नांकित लोक सेवकों के प्रशासनिक स्थानांतरण उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम नम्बर-4 में अंकित नवीन संस्था में तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

स.क्र.	कर्मचारी का नाम एवं पद	वर्तमान कार्यरत संस्था	स्थानांतरित संस्था का नाम
1	2	3	4
1.	श्री शिवदयाल यादव, सहायक शिक्षक	शा. प्रावि कन्नौद वि.ख. खातेगाँव, जिला-देवास	शा. प्रावि खातेगाँव, जिला-देवास
2.	श्री महेश प्रसाद बांकरिया, सहा.शि.	बीजला, वि.ख.नसरुल्लागंज जिला सीहोर	शा. प्रावि बडगाँव नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर
3.	श्री मनीराम उईके, प्रअ	शा. प्रावि निपानिया, वि.ख. नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर	शा. मावि चंदपुरा, वि.ख. नसरुल्लागंज-जिला सीहोर
4.	श्री लखनलाल दुधवाल, सशि	शा. मावि सातदेव वि.ख. नसरुल्लागंज जिला-सीहोर	शा. प्रावि सेगाँव नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर ।
5.	श्री लखनलाल नागवे, प्रअ	शा. प्रावि पलासीकलौ वि.ख. नसरुल्लागंज जिला-सीहोर	शा. मावि नयापुरा नसरुल्लागंज, जिला-सीहोर ।
6.	श्री अजय मालवीय, सहा.शि.	शा. मावि भादाकूई वि.ख. नसरुल्लागंज जिला-सीहोर	शा. मावि छिदगाँव मौजी, वि.ख.नसरुल्लागंज जिला-सीहोर
7.	श्री डी.एस. त्रिवेदी, प्रअ	शा. प्रावि बडनगर वि.ख. नसरुल्लागंज जिला-सीहोर	शा. मावि बोरखेडाकलौ वि.ख. नसरुल्लागंज जिला-सीहोर
8.	श्री नरेन्द्र सिंह पंवार, सहा.शि.	शा. प्रावि सैगाँव वि.ख. नसरुल्लागंज जिला-सीहोर	शा. प्रावि छिपानेर वि.ख. नसरुल्लागंज जिला-सीहोर
9.	श्री रमेश यादव, सहा.शि.	शा. प्रावि मगरिया, वि.ख. नसरुल्लागंज जिला-सीहोर	शा. मावि श्यामपुर वि.ख. नसरुल्लागंज जिला-सीहोर

2/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं संस्था प्रधान द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि स्थानांतरित कर्मचारी शिक्षा विभाग के ही कर्मचारी हैं । पुष्टि होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे ।

3/ संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा यह भली-भांति परीक्षण कर लिया जाए कि संबंधित कर्मचारी वास्तव में उसके स्थान/पद पर पदस्थ हैं जहाँ से उन्हें स्थानांतरित किया जा रहा है । पूर्ण आश्वस्त व शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका से सत्यापन होने पर ही उक्त कर्मचारी को कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण कराया जावे यदि संबंधित कर्मचारी के बारे में किसी प्रकार की कोई त्रुटिपूर्ण विसंगति अथवा विपरीत तथ्यप्रकाश में आता है अथवा उसके विरुद्ध कोई विभागीय जाँच/आपराधिक प्रकरण लम्बित हो तो कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण न कराते हुए वस्तुस्थिति से तत्काल संचालनालय को अर्द्ध शासकीय पत्र के माध्यम से अवगत करायें ।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश

निरन्तर 2


पृ. क्रमांक/स्था.3/सी-2/जि.अं.स्था./52/07/4492

भोपाल, दिनांक 27.11.2007

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय भोपाल ।
2. निज सचिव, मान.मंत्रीजी स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन भोपाल ।
3. निज सचिव, मान. राज्य मंत्रीजी, स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
4. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला-देवास एवं सीहोर म.प्र. ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला-देवास एवं सीहोर म.प्र. ।
7. सभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, उज्जैन एवं भोपाल मध्यप्रदेश ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी जिला- देवास एवं सीहोर म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
9. सहायक संचालक (समन्वय) स्थानीय की ओर माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय की टीप क्र./27003/सीएमएस/एसएजे/07, दिनांक 14.11.2007 के अनुक्रम में आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
10. सहायक संचालक/कम्प्यूटर प्रभारी स्थानीय लोक शिक्षण की ओर ई-मेल प्रेषण हेतु ।
11. संबंधित

की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ ।


सहायक संचालक
लोक शिक्षण मध्यप्रदेश